बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–190 / 2022 - 1401 / पटना, दिनांक–07/9/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04– 105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

SL.No	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bhagalpur	Shahkund	27321897411	SH 25 to Tetariya Tola (Mahadalit Tola)	1.300	85.839	11.175	8.583	105.597
2	Bhagalpur	Shahkund	20703213013	Kaswa Kerhi Prathmik Vidyalay to Dhamana Harijan Tola	3.710	279.333	33.730	27.933	340.996
3	Bhagalpur	Shahkund	20703213002	Shivshankarpur Samastipur Road to Manjhi Tola	1.500	82.134	11.541	8.213	101.888
4	Bhagalpur	Shahkund	20703202170	L040 - Kiranpur to Doradih (VR40)	2.550	149.919	25.368	14.902	190.189
5	Bhagalpur	Shahkund	20703202147	L052- Pachrukhi to Rajanpur (VR52)	6.450	395.511	52.257	39.551	487.319
6	Bhagalpur	Shahkund	20703202149	L059 Karhariya Dariyapur to Harnathpur (VR59)	2.300	151.485	23.443	15.149	190.077
7	Bhagalpur	Shahkund	20703202185	L067 - T02 to Purani Kerhi (VR67)	2.280	154.204	20.453	15.420	190.077
8	Bhagalpur	Shahkund	20703212009	PMGSY Road to Rahul Nagar	1.045	60.901	9.548	6.090	76.539
9	Bhagalpur	Shahkund	20703202132	Samastipur to Juakhar	4.630	189.588	42.870	18.959	251.417
10	Bhagalpur	Shahkund	20703202161	L034-Jhiktia to Mahesh Litti (VR34)	1.620	99.652	14.590	9.965	124.207
11	Bhagalpur	Shahkund	20703202180	L061- Gobrain to Kolhachak (VR61) ·	2.150	88.552	19.167	8.855	116.574
12	Bhagalpur	Shahkund	20703202179	L060- Makanpur T04 to Asrafpur (VR60)	2.000	97.628	17.593	9.681	124.902
13	Bhagalpur	Shahkund	20703301003	Gaura to Banama Via Vasudevpur Tak	3.190	139.282	25.030	13.928	178.240
14	Bhagalpur	Shahkund	20703205101	Khaira Minority Village to Harinath Samastipur	3.820	198.024	30.147	19.802	247.973
15	Bhagalpur	Shahkund	20703212002	Amarpur Dauna Path to Dauna gaon Tak	1.785	106.445	14.830	10.644	131.919
16	Bhagalpur	Shahkund	20703202038	Bakchappar to Bagoy Tak	3.474	181.730	32.472	18.173	232.375
17	Bhagalpur	Shahkund	20703213018	PMGSY Road to Middle school Makandpur via Harijan tola.	1.145	78.682	7.787	7.868	94.337
18	Bhagalpur	Shahkund	20703212031	PMGSY Road to Chandrma Gaon	0.560	35.915	4.155	3.592	43.662
19	Bhagalpur	Shahkund	20703202160	Radhanagar to Jagarnathpur	1.040	37.090	9.862	3.709	50.661
20	Bhagalpur	Shahkund	20703202184	L065- T07 to Marchirma	1.025	85.730	9.469	8.573	103.772
21	Bhagalpur	Shahkund	20703213011	Urdu Middle school Juakhar to Sarauni Pichla Bandh Tak	0.700	39.652	6.756	3.965	50.373
22	Bhagalpur	Shahkund	20703202155	L028 Ratanganj to Narayanpur	1.342	79.495	9.268	7.950	96.713
23	Bhagalpur	Shahkund	20703208216	Nathnagar to Radhanagar Part-B	4.950	280.999	48.675	28.100	357.774
	Total				54.566				3887.581

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

6

8
6/9/2022

Scanned with CamScanner

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, भागलपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–197 पार्ट–1/2021** में दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 6.9.2022 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–190/2022** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–190/2022 के पृ0–04/टि0 पर दिनांक–25/8/22 को प्राप्त है।

6

विश्वासभाजन

6/9/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–190/2022 - 1401 /पटना, दिनांक– 07/9/2022
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–56/2022 - 1401 /पटना, दिनांक–07/9/2022
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रमंडलीय आयुक्त, **भागलपुर** /जिला पदाधिकारी, **भागलपुर** / उप विकास आयुक्त, **भागलपुर** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **भागलपुर** /संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/9/2022

विशेष सचिव

Scanned with CamScanner